



# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-10/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
23.04.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 490, दिनांक 13.04.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.04.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक (1) श्री वीरसिंह बोदरा, पिता स्व० विक्रम बोदरा, (2) श्री विनोद बोदरा, पिता स्व० मंदरू बोदरा, (3) श्री नेपाली बोदरा, पिता स्व० मंदरू बोदरा, ग्राम-कोलचोकड़ा, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-नगरपालिका वार्ड नं०-05, खाता नं०-62, प्लॉट नं०-35, रकवा 0.14 ए०, क्रेता श्री मनोहर बोदरा, पिता-श्री मोला बोदरा, ग्राम+पो०-हथिया, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक (1) श्री वीरसिंह बोदरा, पिता स्व० विक्रम बोदरा, (2) श्री विनोद बोदरा, पिता स्व० मंदरू बोदरा, (3) श्री नेपाली बोदरा, पिता स्व० मंदरू बोदरा, ग्राम-कोलचोकड़ा, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना-चक्रधरपुर के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता का जाति "हो" (अ.ज.जा.) समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>विक्रेता एवं क्रेता ने उक्त भूमि का क्रय-विक्रय करने हेतु सहमति जताई। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा-3.23.312 ए० भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री मनोहर बोदरा, पिता-श्री मोला बोदरा, ग्राम+पो०-हथिया, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               भूमि सुधार उपसमाहर्ता              पोड़ाहाट, चक्रधरपुर         </div> <div style="text-align: center;">               भूमि सुधार उपसमाहर्ता              पोड़ाहाट, चक्रधरपुर         </div> </div>	